FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2019/00026

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

ब्रह्मानन्द बनाम रामाराम वगै.

किस्म मुकदमा 88-89 RTA मिसल नम्बर 18/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.1.19	वाद वादी/वादनी ब्रह्मानन्द की और से अभिभाषक श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11.2.2019 को पेश हो।	
11/2/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 15.2.19 को पेश हो ।	
15.2.19	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक गण ने आज कार्य बहिष्कार के कारण कोई कार्यवाही नहीं रखा है। अतः पूर्ववत पत्रावली दिनांक 19.2.19 को पेश हो । अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर ले ।	
19.2.19	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक गण ने आज कार्य बहिष्कार के कारण कोई कार्यवाही नहीं रखा है। अतः पूर्ववत पत्रावली दिनांक 25.2.19 को पेश हो । अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें ।	

नम्बर व ... अहकाम जो ... हुक्म की ता... जारी हुए

25/2/19.

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने कथन किया कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित आराजी ख0नं0 1402 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1407 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 1413 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1461 रकबा 1.99 हे0 कुल किता 4 रकबा 4.54 हे0 भूमि में वादी ब्रह्मानन्द को 3/8 हिस्सा और प्रतिवादी नं0 1 राजाराम को 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 3 सोभाग बाई को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित कर दिया जावें। प्रतिवादी नं0 2 पन्नी बाई अपनी स्वेच्छा से अपना 1/4 हिस्सा अपनें पुत्र वादी ब्रह्मानन्द व प्रतिवादी नं0 1 राजाराम के पक्ष में हकत्याग करती है। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार वाद वादी डिक्री फरमाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावें।

राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा वाद वादी डिक्री किये जानें का निवेदन किया।

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित आराजी ख0नं0 1402 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1407 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 1413 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1461 रकबा 1.99 हे0 कुल किता 4 रकबा 4.54 हे0 भूमि पर खातेदार लटूरलाल के स्थान पर वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जानें की रिलीफ चाही है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा पर विधिक विचारण किया। विवादित आराजी वर्तमान में लटूरलाल पुत्र जोधा की खातेदारी में दर्ज है, वादी द्वारा वाद पत्र के साथ लटूरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.01.2019 प्रस्तुत किया है तथा वादी, प्रतिवादी नं0 1 व 3 लटूरलाल की संतानें है तथा प्रतिवादी नं0 2 लटूरलाल की बेवा है। चूंकि लटूरलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 वारिसान है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का उक्त विवादित आराजी में 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी नं0 ...

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पन्नीबाई बेवा लटूरलाल अपनें हिस्से 1/4 की आराजी वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में हकत्याग करना चाहती है, जिसका उल्लेख राजीनामा में भी किया गया है। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 पन्नीबाई के पुत्र है, जो कानूनन पन्नीबाई के हिस्से को ग्रहण करनें के अधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद स्थित आराजी ख0नं0 1402 रकबा 0.81 हे0, ख0नं0 1407 रकबा 1.50 हे0, ख0नं0 1413 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 1461 रकबा 1.99 हे0 कुल किता 4 रकबा 4.54 हे0 भूमि में वादी ब्रह्मानन्द को 3/8 हिस्सा और प्रतिवादी नं0 1 राजाराम को 3/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 3 सोभाग बाई को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से पन्नीबाई के हिस्से 1/4 की नियमानुसार हकत्याग की मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनॉक 25/02/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (कैलाश चन्द्र शर्मा) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	